(10)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 210/2021

अशोक कुमार यादव पुत्र झाबर मल, निवासी गांव सिहोड, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333036, मो0न0 7982856595

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 25.10.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पोर्टल पर प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 210/2021 पर दिनांक 06.10.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/3269–70 दिनांक 08.10.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी ने पत्रांक पी0ए0/सू0अ0अ0/2021/889 दिनांक 18.10.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकर्ता श्री अशोक कुमार यादव पुत्र झाबर मल, निवासी सिहोड, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत आवेदन पत्र इस कार्यालय मे प्राप्त नही हुआ है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाने पर आवेदक द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय मे उपलब्ध होने की स्थिति मे आवेदक को सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु अनुपस्थित।
6. लो0सू0अ0 (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक पी0ए0/सू0अ0अ0/2021/889 दिनांक 18.10.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकर्ता अपीलकर्ता श्री अशोक कुमार यादव पुत्र झाबर मल, निवासी सिहोड, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे प्राप्त नही हुआ है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाने पर आवेदक द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय मे उपलब्ध होने की स्थिति मे आवेदक को सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी। चूंकि अपीलार्थी द्वारा सूचना चाही जाने के संबंध मे ऑनलाईन आवेदन किया हुआ है। न्यायालय के पत्र कमांक 3269–3270 दिनांक 08.10.2021 द्वारा उक्त आवेदन की छाया लो0सू0अ0 (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी को भिजवाई गई है। ऐसे मे लो0सू0अ0 (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी को यह कथन गलत है कि अपीलार्थी द्वारा उनके कार्यालय मे आवेदन नही किया गया है। अतः अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि लो0सू0अ0 (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 25.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं